भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3606

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मामले

3606. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ख) मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने के सरकार के प्रयासों के अंतर्गत वापस लिए गए या कम किए गए मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में कारोबारी सुगमता में सुधार लाने और कारपोरेट प्रशासन कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी विधि के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा एवं संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी अपराधों से संबंधित लंबित अभियोजन मामलों को वापस लेना; वर्ष 2019 एवं 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 51 अपराधों को आपराधिक की श्रेणी से बाहर करना तथा प्रादेशिक निदेशालयों (आरडी) एवं कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के स्तर पर मामलों के निपटान के लिए ई-न्यायनिर्णयन तंत्र की शुरुआत करना शामिल है।

(ख): वर्ष 2017 से 2025 के बीच विभिन्न न्यायालयों से 20,514 अभियोजन मामलों को वापस लिया गया। अभियोजन मामलों को वापस लेना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे इस मंत्रालय द्वारा निरंतर किया जाता है।

(ग): व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार तथा कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) निगमन के लिए केंद्रीकृत कंपनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना तथा कंपनियों एवं एलएलपी के निगमन के समय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएँ, जैसे पैन, बैंक खाते खोलना आदि, उपलब्ध कराने के लिए नए ई-फॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि व्यवसाय तत्काल प्रारंभ किया जा सके।

(ii) 50 से अधिक ई-प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) में परिवर्तित किया गया है, जिनके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृति आवश्यक होती थी;

(iii) विनिर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना;

(iv) कंपनियों के स्वैच्छिक निकास के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना;

(v) लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन करके लघु कंपनी के लिए सीमा में वृद्धि की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदत्त चुकता पूंजी 10 करोड़ रुपये से अधिक तथा कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की संकल्पना शुरू की गई है, जिस पर कम अनुपालन तथा कम शुल्क लागू होते हैं ताकि अनुपालन की लागत कम हो सके है;

(vi) 15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क;

(vii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विलय के लिए फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया का विस्तार करके इसमें स्टार्टअप्स के अन्य स्टार्टअप्स तथा लघु कंपनियों के साथ विलय को भी सम्मिलित किया गया है, ताकि विलय एवं समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके;

(viii) किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए शून्य लागत;

(ix) कंपनी (अनुमेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 की अधिसूचना, जिसके द्वारा भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है;

(x) शेयरधारकों की सहभागिता बढ़ाने तथा कंपनियों के लिए आम बैठकों के आयोजन से संबंधित लागत को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से किसी कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति देना;

(xi) कंपनी (लेखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों एवं निदेशक की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए संशोधित एओसी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य संरचित कारपोरेट सूचना का संग्रह करना है, ताकि अधिक प्रभावी एवं प्रकटीकरण-आधारित जवाबदेही तथा जहाँ जनहित में आवश्यक हो, आँकड़ा-आधारित नियामकीय संवीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसी प्रकार, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 के अंतर्गत संशोधित एमजीटी इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एमसीए21 पर दाखिल वार्षिक विवरणी एवं शासन संबंधी जानकारी के संरचित प्रकटीकरण में सुधार करना है।
